

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 222 OF 2026

IN THE MATTER OF

Narender Sirohi

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

....Respondents

INDEX

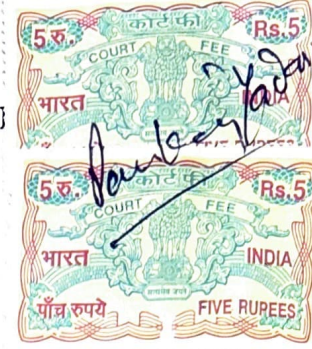
S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Report by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, (UPPCB) Respondent No.2	1-3
2.	ANNEXURE-R-1 Copy of the letter dated 29.04.2026	4
3.	ANNEXURE-R-2 Copy of the letter dated 30.05.2026 issued by DM Mathura	5
4.	ANNEXURE-R-3 A list of the 17 establishments so inspected and list of establishments having CTO/CTE	6-8
5.	ANNEXURE-R-4 Copy of the recommendation letter of show cause notice	9-21
6.	ANNEXURE-R-5 Copy of the letter dated 27.04.2026 issued by Govt of UP	22
7.	ANNEXURE-R-6 Copy of the letter dated 11.05.2026	23-24

Date:22.07.2026
Place: New Delhi

Aditya Vaibhav Singh

Through
Aditya Vaibhav Singh
(Counsel For UPPCB)
A-394, LGF, Defence Colony
New Delhi-110024
(E): adityavaibhavsingh@protonmail.com
(M): 9934100100

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 222 OF 2026



IN THE MATTER OF

Narender Sirohi

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

.....Respondents

ADDITIONAL RESPONSE BY RESPONDENT NO. 2 -
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
(UPPCB)

I, Pankaj Yadav aged about 45 years, S/o Shri Lalmani Yadav presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mathura (hereinafter referred to as UPPCB), I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. It is humbly submitted that the applicant alleged that Respondent Nos. 11 to 108 are illegally operating in District - Mathura, U.P without necessary environmental permissions.

4. That pursuant to order dated 09.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal, a notice dated 29.04.2026 was issued by UPPCB to all the establishments for installing pollution control mechanisms and obtaining consent. Copy of the letter dated 29.04.2026 is annexed herewith as **Annexure R-1**



5. It is respectfully submitted that in addition to this, a notice dated 30.05.2026 has also been sent to all the establishments through the office of District Magistrate, Mathura, wherein it was directed to all the establishments that, it is mandatory to operate only after obtaining the consent from the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981. Further, the establishments that have already obtained consent were directed to submit quarterly compliance report to the Regional Office, UPPCB, Mathura.

Copy of the letter dated 30.05.2026 issued by DM Mathura is hereby annexed as **Annexure R-2**

6. It is to be respectfully submitted that as per the records, 14 out of 98 establishments have received NOC/Consent from the UPPCB and the remaining 84 establishments are yet to receive consent.

7. It is to be submitted that on 15.07.2026 inspection was carried out on 17 establishments, during inspection 5 establishment found closed and 12 establishments currently discharging sewage/effluent without treatment, which indicates a violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. A list of the 17 establishments inspected is hereby annexed as **Annexure R-3**.



8. It is to be respectfully submitted that the recommendation of show cause notice against all 12 establishments was made vide letter dated 16.07.2026 to U.P. Pollution Control Board, H.Q Lucknow. Copy of the recommendation letter of show cause notice issued is hereby annexed as **Annexure R-4**. Further inspection of other 67 establishments it to be carried out.

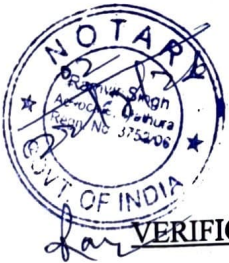
9. It is to be submitted that a letter dated 27.04.2026 was issued by Joint Secretary, Government of UP, to the Director, Directorate of Urban Bodies, U.P. Lucknow, District Magistrate, Mathura, and Municipal Commissioner,

Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, Mathura, to ensure all necessary actions be taken. Copy of the letter dated 27.04.2026 issued by Govt of UP is hereby annexed as Annexure R-5

10. It is to be submitted that letter dated 11.05.2026 was issued by Office of the Director, Ground Water Department, U.P. Bhujal Bhawan, Hariharpur Shaheed Path, Lucknow to Nodal Officer, District Ground Water Management Council, Mathura, regarding action to be taken in the matter in question.

Copy of the letter dated 11.05.2026 so issued is hereby annexed as Annexure R-6

11. The present affidavit on behalf of UPPCB is submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.



VERIFICATION:

Verified at Mathura on this 21 Day of July, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
21.7.26

DEPONENT

Document read over and explained to Shri. *[Signature]* who is identified by Shri. *[Signature]* on oath attested to day on S.No. 02 has been registered at my office and charged fees Rs. *[Signature]*

Ramvir Singh
Advocate Notary
Court Mathura

[Signature]
21.7.26

DEPONENT

[Signature]
को ज्ञात है इन्होंने मेरे सामने
प्रमाण / दस्तावेज जितने दिए हैं

प्रमाणित

[Signature]



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 104/0-132/2026

दिनांक 29/04/2026

सेवा में,
सूची संलग्न (कुल-98)।

पंजीकृत/नोटिस

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-200/2014 के आदेशों के अनुपालन में होटल/संस्थान/प्रतिष्ठान/आश्रम एवं मठ आदि द्वारा बिना अशुद्धिकृत किये घरेलू उत्प्रवाह को निस्तारण नहीं किये जाने के आदेश प्राप्त हैं। अग्रेतर ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में प्रकरण विचाराधीन है। अग्रेतर अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के संचालन किये जाने की अनिवार्यता है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके प्रतिष्ठान को सहमति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र दिनांक-13.02.2026 के माध्यम से पूर्व में नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान तक इस कार्यालय में अप्राप्त है, जिससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा जानबूझकर आपकी इकाई से जनित बहिस्त्राव को बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध दर्शाता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रतिष्ठान को संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त न होने की दशा में प्रतिष्ठान से जनित बहिस्त्राव के शुद्धिकृत किये जाने हेतु पर्याप्त क्षमता का एस०टी०पी० की स्थापना करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये प्रतिष्ठान के संचालित होने अथवा सहमति प्राप्त होने पर सहमति की अनुपालन आख्या प्रेषित न किये जाने की दशा में आपके प्रतिष्ठान के विरुद्ध किये जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल), मथुरा।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, मथुरा।
6. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

पत्रांक- 189/0-132/2026

दिनांक: 30/05/26

सेवा में,

सूची संलग्न (कुल-98)।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में प्रकरण विचाराधीन है। अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के संचालन एवं सहमति प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन आख्या प्रत्येक त्रैमास क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को प्रेषित किये जाने की अनिवार्यता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रतिष्ठान को संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त न होने की दशा में प्रतिष्ठान से जनित बहिस्त्राव के शुद्धिकृत किये जाने हेतु पर्याप्त क्षमता का उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किया जाना एवं सहमति प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन आख्या प्रत्येक त्रैमास क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके प्रतिष्ठान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी
मथुरा।

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक-27.04.2026 के सम्बन्ध में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ch 29.5.26
जिलाधिकारी
मथुरा।

Hotel List (For Show Cause)

S. N.	Name	Address
1	M/s Zoca Café	Moti Manzil, NH-2, Krishna Nagar, Mathura-281001, Uttar Pradesh
2	M/s The Foodies Bar	Shop No.17-B, Moti Manzil, Near Highway Plaza, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh
3	M/s Veg Grill (The Hangout Café)	Krishna Nagar, NH-19, Near Goverdhan Chauraha, Mathura-281004, Uttar Pradesh
4	M/s Basera Restaurant & Hotel	141/6, NH-19, Shri Radha Puram, Mathura-281001, Uttar Pradesh
5	M/s Agrawal Restaurant	Near Maheshwari Hospital, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
6	M/s Jeetu Dhaba	NH 19, Near Nayati Hospital Mathura-281001, Uttar Pradesh
7	M/s Radhe Krishna Dhaba	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
8	M/s Madhav Food Caters (Shri Banke Bihari Family Dhaba)	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
9	M/s Sagar Ratna	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
10	M/s The Lounge	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
11	M/s MD Farms & Resorts	NH-2, Near Syiad, Mathura-281003, Uttar Pradesh
12	M/s Tulip Resorts	Masani Road, Gaur kendra, Mathura-281003, Uttar Pradesh

Hotel List (Closed)

S. N.	Name	Address
13	The Mansion Court Yard	Jaisinghpura, NH-19, Vrindavan, Mathura-281121, Uttar Pradesh
14	Spice Symphony	Near Aggarwal Restaurant, Pushpa Hotel, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
15	Moti Mahal Deluxe, Vrindavan	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
16	Mumbai Chaupati	NH-19, Near Highway Plaza, Mandi Bypass, Mathura-281001, Uttar Pradesh
17	Fox Fire Roof Top Café	City Center Mall, Radhika Vihar, Mathura-281004, Uttar Pradesh

Hotel List (CTE/CTO Granted)

S. N.	Name	Address	Actual Name	Appl. ID	Consent Validity	No. of Rooms	STP Capacity
1	Wingston A Treehouse Hotel	Opp. Rangili Mahal, Nandgaon Rd, Barsana, Mathura-281405, Uttar Pradesh	M/s M.R. Resort Pvt. Ltd. Hotel Wingston Barsana	ID-31869750 App. Date-22.05.2025	31.03.2030	40	02 KLD
2	The Mystic Palms	Near Mandi Samiti, Shrinathpuram Colony, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Ashgo Resorts Pvt Ltd (The Mystic Palm), Khasra No.-298, 299, Old Khasra No.-159, 160, Village-Palikheda, Near Mandi Samiti, NH-2, Mathura	ID-37622160 App. Date-04.07.2026	31.07.2030	48 Rooms, Banquet Hall-2, Bar (Freez)-50 Seat & Restaurant (Rout-66)	25 KLD
3	The Trunk Rooftop Restaurant	4th Floor, Madhavpuri, Royal Enfield Showroom, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s K2 Hospitality, Khasra No.-228, Mauja-Maholi, Royan Enfield showroom, NH-2, Mathura	32906079 Approval Date 24.07.2025	31.07.2030	32 Rooms	20 KLD
4	Route 66 Café & Restro	Near Mandi Samiti, Naraich, NH-19, Mathura-281004, Uttar Pradesh	M/s Ashgo Resorts Pvt Ltd (The Mystic Palm), Khasra No.-298, 299, Old Khasra No.-159, 160, Village-Palikheda, Near Mandi Samiti, NH-2, Mathura	ID-37622160 App. Date-04.07.2026	31.07.2030	48 Rooms, Banquet Hall-2, Bar (Freez)-50 Seat & Restaurant (Rout-66)	25 KLD
5	Murliwala Hotel & Restaurant	Near ICICI Bank & Balaji Ashram, Raman Reiti, Vrindavan, Mathura-281121, Uttar Pradesh	M/s Murliwala Hotel & Restaurant, Khasra No.-162 (Part), Vrindavan Bangar, Mathura	37146315 Approval Date 27.05.2026	31.03.2029	16 Rooms T.C.A.-537.69 SQM	04 KLD Terminal STP
6	Heera Courtyard	NH-19, Opp. Nayati Hospital & CNG Pump, Mathura-281003, Uttar Pradesh	M/s Heera Foods, Khasra No.-978, Village-Kota, NH-2, Mathura (CTE)	26971125 Approval Date 05.07.2024	30.06.2029	46 Rooms	40 KLD
7	Haldiram's	Plot No.225/18, G.F., Sonkh Road, Radhika Vihar, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Four Brother's Hospitality (CTE)	25913990 Approval Dated 24.04.2024	30.04.2029	68 Rooms T.C.A.-5854.04 SQM	50 KLD
8	The Rules Club Resort	Expressway Paani Gaon Road, Opp. Shiva Dhaba, Mathura-281204, Uttar Pradesh	M/s The Rules Club, Khasra No.-874, Mauja-Panigaon, Tehsil-Mant, Mathura (CTE)	23196372 Approval Date 12.12.2023	31.10.2028	Hotel, Restaurant & Bar-20 Rooms	10 KLD
9	The Lalita Grand Hotel	Near Veterinary Nursery, Aurangabad, Gokul Banger, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s L.B. Hotel & Resaurts LLP, Khasra No.-258/1, Damodarpura, Aurangabad, Mathura	31264567	31.07.2030	40 Rooms	40 KLD
10	MD Farms & Resorts	NH-2, Near Syyad, Mathura-281003, Uttar Pradesh	Khasra No.-461, 462, 468, 444, Mauja Charora, NH-19, Mathura (CTE)	23829006 Approval Date 30.12.2023	31.12.2028	65 Rooms	60 KLD
11	Kridha Residency	Near Prem Mandir, Vrindavan, Mathura-281121, Uttar Pradesh	Khasra No.-1007, Near Prem Mandir, Vrindavan, Mathura	1731031 (W) 1730462 (A)	31.12.2028	45 Rooms	05 KLD

P

183

S. N.	Name	Address	Actual Name	Appl. ID	Consent Validity	No. of Rooms	STP Capacity
12	Abhinandan Hotel	NH-19, Near Goverdhan Chauraha, Mathura-281004, Uttar Pradesh	M/s Abhinandan Hotel (A Unit of Brij Bhoomi Hotel & Resorts Pvt Ltd)	33817906 Approval Date 08.10.2025	31.07.2029	30 Rooms	02 KLD
13	Aryavilas Hotel	K2 S Spire, Royal Enfield Showroom, NH-19, Maholi, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s K2 Hospitality, Khasra No.-228, Mauja-Maholi, Royal Enfield showroom, NH-2, Mathura	32906079 Approval Date 24.07.2025	31.07.2030	32 Rooms	20 KLD
14	Madhuvan Hotel	Dwarka Enclave, Krishna Nagar, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Madhuva Hotel (A Unit of Madhuvan Inn & Travels Pvt Ltd), Krishna Nagar, Mathura	37333776 Appoval Date 06.06.2026	31.03.2029	19 Rooms	05 KLD Terminal STP

Hotel List (For Show Cause)

S. N.	Name	Address
1	M/s Zoca Café	Moti Manzil, NH-2, Krishna Nagar, Mathura-281001, Uttar Pradesh
2	M/s The Foodies Bar	Shop No.17-B, Moti Manzil, Near Highway Plaza, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh
3	M/s Veg Grill (The Hangout Café)	Krishna Nagar, NH-19, Near Goverdhan Chauraha, Mathura-281004, Uttar Pradesh
4	M/s Basera Restaurant & Hotel	141/6, NH-19, Shri Radha Puram, Mathura-281001, Uttar Pradesh
5	M/s Agrawal Restaurant	Near Maheshwari Hospital, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
6	M/s Jeetu Dhaba	NH 19, Near Nayati Hospital Mathura-281001, Uttar Pradesh
7	M/s Radhe Krishna Dhaba	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
8	M/s Madhav Food Caters (Shri Banke Bihari Family Dhaba)	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
9	M/s Sagar Ratna	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
10	M/s The Lounge	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
11	M/s MD Farms & Resorts	NH-2, Near Syad, Mathura-281003, Uttar Pradesh
12	M/s Tulip Resorts	Masani Road, Gaur kendra, Mathura-281003, Uttar Pradesh



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 344/0-132/2026

दिनांक/Date... 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० द फूडीज बार, शॉप सं०-17-बी, मोती मंजिल, हाईवे प्लाजा, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० द फूडीज बार, शॉप सं०-17-बी, मोती मंजिल, हाईवे प्लाजा, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 348/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० जीतू ढाबा, एन०एच०-19, नियर नयति हॉस्पिटल, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० जीतू ढाबा, एन०एच०-19, नियर नयति हॉस्पिटल, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 349/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० राधे कृष्णा ढाबा, नियर राजीव अकेडमी, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० राधे कृष्णा ढाबा, नियर राजीव अकेडमी, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

dk



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 350/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० माधव फूड सेन्टर (श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा), नियर राजीव अकेडमी, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० माधव फूड सेन्टर (श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा), नियर राजीव अकेडमी, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 351/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० सागर रत्ना, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० सागर रत्ना, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No... 352/0-132/2026

दिनांक/Date... 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० द लॉज, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० द लॉज, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No... 353/0-132/2026

दिनांक/Date... 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० एम०डी० फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स, एन०एच०-2, नियर सैयद, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० एम०डी० फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स, एन०एच०-2, नियर सैयद, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No... 354/0-132/2026

दिनांक/Date... 15/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० दयूलिप रिजोर्ट्स, मसानी रोड, गौर केन्द्र, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० दयूलिप रिजोर्ट्स, मसानी रोड, गौर केन्द्र, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 343/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० जोका कैफे, मोती मंजिल, एन०एच०-2, कृष्णा नगर, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० जोका कैफे, मोती मंजिल, एन०एच०-2, कृष्णा नगर, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

dk R



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 345/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन०एच०-19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन०एच०-19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

de R



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 346/0-132/2026

दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/छाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० बसेरा रेस्टोरेन्ट एण्ड हॉटल, 141/6, एन०एच०-19, श्री राधापुरम, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन०एच०-19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 347/0-132/2026

दिनांक/Date. 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा में स्थापित/संचालित कुल-98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-222/2026 नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में मै० अग्रवाल रेस्टोरेन्ट, नियर माहेश्वरी हॉस्पिटल, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मै० अग्रवाल रेस्टोरेन्ट, नियर माहेश्वरी हॉस्पिटल, एन०एच०-19, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:-एन0जी0टी0-121 / नौ-5-2026-24रिट / 2026

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी, मथुरा।
- 3-नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

विषय: मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-222/2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-222/2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2026 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन के मेल आई0 डी0-so.nagar.05@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

JPGWD-ESTBONGT/10/2026-ESTB-UPGWD

Ro PCB

D.M./COLLECTOR

41485/2026

कॉर्ट केस/एनजीटी/महत्वपूर्ण।
ई-मेल के माध्यम से

नियमानुसार आवश्यकताओं को

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शाहीद पथ, लखनऊ।

संख्या- 141 / भूज०वि०/एस-26(एन०जी०टी०) दिनांक/लखनऊ/मई 11 2026
विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-222/2026 Narender Sirohi
Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-मथुरा।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-222/2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुक्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रवक्ता दित्त अनुमृति, ऑफिस प्रवक्ता प्रियंका स्वामी, स्टैंडिंग कॉन्सलिंग, उ०प्र० (एनजीटी) के माध्यम से ई-मेल के द्वारा दिनांक 10.04.2026 को नोटिस प्रेषित की गयी है (मय संलग्नको सहित छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वादी द्वारा जनपद मथुरा में संचालित संस्थानों पर निम्नानुसार "Respondent nos. 11 to 108 are illegally operating in District-Mathura, UP without necessary environmental permissions. These respondents do not have the CTE & CTO and they are discharging untreated effluent into the open land and public sewerage system which is causing serious environmental hazardous. These establishments are operating without installation of pollution control mechanism such as oils and grease traps and they do not have any effluent treatment plant and they are contaminating soil and ground water and also contributing to the pollution in river Yamuna. आरोप लगाते हुए वाद/मूल आवेदन-222/2026 दाखिल किया गया है। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिनांक 09.04.2026 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् है-

- "..... 4. Learned counsel for the applicant has referred to the RTI application (Annexure-A1) dated 06.11.2025 wherein, an information was sought about the units operating without valid consent in last three years.
5. He submits that in the reply the UPPCB on 17.02.2026 has admitted that the notices were issued to the hotels, restaurants and dhabas which were operating without the requisite consent and permissions.
6. He further submits that the communication dated 21.01.2026 by the Nodal Officer District Ground Water Management Council, Janpath, Mathura, reveals that the NOC has been given to only 306 establishments that means the other establishments in the area are operating without necessary ground water permission.
7. He also submits that the complaint along with the list of such illegally operating units was submitted to the UPPCB on 28.01.2026 (Annexure- A5) but no action has been taken.
8. Further submission of counsel for the applicant is that the CPCB has framed the guidelines for Control of Pollution and Enforcement of Environment Norms at individual establishments under area/cluster of restaurants/hotels/motels/banquette etc. (Annexure-A7) but none of the norms prescribed by the CPCB have been followed by private respondent.
9. He has further placed reliance upon the order of the Tribunal dated 08.01.2026 passed in original application no. 203/2023 in the matter of Tushar Goswami Vs. Union of India & Ors. and dated 17.08.2022 in original application no. 26/2019 the matter of Abhay Dahiya & Ors. Vs. State of Haryana.
10. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.
11. Issue notice, learned counsel Ms. Priyanka Swami accepts notice on behalf of respondent nos. 1, 3, 4, 8, 9 & 10 and seeks four weeks' time to file the reply.
12. The applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.
13. List on 24.07.2026."

प्रस्तुत उक्त ओ०ए० संख्या 222/2026 में सभी प्रतिवादियों में विपक्षी पार्टी संख्या-03 के रूप में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को रखा गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रेषित उक्त विधिक नोटिस, जिसके साथ मूल आवेदन का सार संलग्न करते हुए अपेक्षा की गयी है कि मूल आवेदन में लगाये गये आरोपों/तथ्यों की जाँच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तारवार विभागीय प्रतिउत्तर तैयार करते हुए वाद में अगामी सुनवाई दिनांक 24.07.2026 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाए।

446
30/5/26

M.A.
2

अतएव उपरोक्त विषयाकित वाद में आपको विपक्षी पार्टी संख्या-3, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० की ओर से विभागीय प्रतिनिधि नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.04.2026 के साथ सलग्न मूल प्रत्यावेदन में की गयी शिकायत के कम में लगाये गये आरोपों/तथ्यों की जाँच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय मंतव्य/पैरावाइस नैरेटिव/शपथ पत्र तैयार करते हुए मा० अधिकरण के सम्मुख ससमय उपस्थित होते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का अनुपालन किया जा सके, अन्यथा की दशा में मा० अधिकरण द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश हेतु आप उत्तरदायी होंगे।

ज्ञातव्य हो कि उक्त वाद में अगामी सुनवाई दिनांक 24.07.2026 को नियत की गयी है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/

(अनुपम)

अधिशारी अभियंता/
वै०सहा०(निदेशक)।

संख्या-141 (I)/भू०ज०वि०/एस-26(एन०जी०टी०)/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, न्यायि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृंदावन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद-मथुरा।
7. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफि० सर्वे खण्ड-आगरा।

Digitally signed by
ANUPAM

Date: 11-05-2026
10:48:33 AM

अधिशारी अभियंता/
वै०सहा०(निदेशक)।